न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 149/2023

अनवान : –

1. ओमप्रकाश पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।

– प्रार्थी

बनाम्

1. हुक्मचन्द पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर
2. अशोक कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर
4. पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री महेशचन्द्र शर्मा अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता गैरसायल

निर्णय दिनांकः 16/12/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि सायल के दादा की पैदा कर्दा खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070 2073 के खाता सं. 48/471 के ख.न. 606/2 की 1.9350 हैक्टर ख.न. 607 की 4.3760 हैक्टर भूमि ख. न. 645/2 की 6.0700 हैक्टर भूमि थी जिसमें सायल का बाई बर्थ राईट था।

सायल के दादा नौरंग वल्द लेखु गांव किशन गढ़िया को छोडकर करीब 90 वर्ष पहले सोनड़ी तहसील नोहर में आकर आबाद हुऐ व सपरिवार सोनड़ी में आकर कच्चे घर बनाकर निवास करने लगे और नौरंग ने परिवार के पालना पोषणा के लिए रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर के खाता सं. 180 की 62 बीघा 2 बिस्वा भूमि बजड़ तोड़कर कृषि योग्य भूमि बनाया जिसके वर्तमान ख.न. 606 की 30 बीघा ख.न. 645 की 22 बीघा 10 बिस्वा ख.न. 607 की 9 बीघा में परिवर्तित हो गयी। सायल के दादा नौरंग वल्द लेखु जब सोनड़ी में आकर बसे तब वादी के लिए रामजीलाल नाबालिग थे और छोटे थे नौरंग के कुल 6 वारिसान हुऐ तथा नौरग की मृत्यु के पश्चात प्रत्येक वारिस का 1/6, 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ अर्थात सायल के पिता रामजीलाल का भी 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ रामजीलाल के सायल अकेला वारिस था रामजीलाल की मृत्यु के पश्चात सायल अकेले के नाम भूमि दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु सायल के भाई इन्द्र बहुत तेज तर्रार व्यक्ति है जिसने सायल के पुत्र गैरसायल सं. 1 हुक्मचन्द इन्द्र के जैर असर में है तथा बहला फुसला कर परिवार में फुट डाल [illegible] था भोला व काश्तकार पेशा व्यक्ति है इन्द्र ने राजस्व अधिकारियों से मिलकर [illegible] का गैरसायलान के नाम दर्ज करवा लिया जबकि सायल की दादालाई खातेदारी भूमि में रामजीलाल मृतक [illegible] साथ जन्म से ही बाई बर्थ राईट था अर्थात सायलका 1/6 हिस्सा में ब.हि.ब. था तथा रामजीलाल की मृत्यु के पश्चात उसके 1/12 हिस्सा में सायल व गैरसायलान सं. 1 ता 2 दावा में प्रतिवादीया सं. 3 का

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

ब.हि.ब. था इस प्रकार सायल का 5/48 हिस्सा का तथा गैरसायलान सं. 1 ता 2 का 1/48 व 1/48 हिस्सा, एवं दवा मे दर्ज प्रतिवादीया सं. 3 का 1/48 हिस्सा भूमि हिन्दु विधि अनुसार था किन्तु गैरसायलान ने सायल के भाई के साथ मिलकर फर्जी तौर पर अकेले अपने नाम दर्ज करवा ली जो विधि विरूद्ध है इसलिए न्यायालय से सायल अपने हक व हिस्सा की घोषणा न्यायालय से करापाने का अधिकरी है। गैरसायलान सं. 1 व 2 सायल के भाई के बहकावे में आकर भूमि को खुर्द बुर्द करने पर उतारू है तथा सायल के हक को हड़प करके सायल के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि को रहन / बैय अथवा मुन्तकिल करने की फिराक में है व भूमाफियों लोगो से मिलकर सायल को बेदखल करने पर उतारू है यदि ऐसा हो गया तो सायल को अपूर्णीय क्षति होगी अतः जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करापाने के अधिकारी है।

लिहाजा यह प्रार्थना पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता सं. 48 की 12.3811 हैक्टर भूमि में दर्ज हिस्सा को किसी प्रकार से गैरसायलान रहन / बैय अथवा मुन्तकिल न करे तथा सायल के कब्जा काश्त में स्वंय अथवा अपने आदमियों से मदखलता बैजा न करे।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा सोनड़ी तहसील नोहर की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 के खाता सं. 48 की 12.3811 हैक्टर भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थी स0 1 ता 2 इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थी स0 1 ता 2 उक्त वाद भूमि की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की उक्त भूमि नौरंग पुत्र लेखू की अर्जित न होकर चन्दूराम, रामजीलाल पुत्रगण नोरंग की स्वयं अर्जित भूमि थी। रामजीलाल पुत्र नोरंग द्वारा दिनांक 28.03.2017 को मोहनलाल पुत्र इन्द्रसिंह को 1/6 हिस्सा, हुकमचन्द, अशोक कुमार पुत्रगण ओमप्रकाश को बहिब 1/6 हिस्सा, उर्मिल पत्नी शिशपाल, सौरव कुमार पुत्र रोहिताश, हरचन्द पुत्र रामजीलाल, दयानन्द पुत्र रामजीलाल प्रत्येक के पक्ष में 1/6 हिस्सा भूमि की वसीयत करवाई थी। गैरसायलान को उक्त भूमि जरिये वसीयत प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में सायल का कोई हक हिस्सा नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि सायल का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थी/अप्रार्थी के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का कथन है कि उक्त भूमि सायल की पैतृक भूमि थी एवं सायल के पिता द्वारा अपने नाम दर्ज उक्त भूमि को सीधे अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम दर्ज करवा दी गई जबकि उक्त भूमि में सायल का भी हक हिस्सा था लेकिन अप्रार्थी स0 1 ता 2 जो की सायल के पुत्र है का कथन है कि उक्त भूमि जरिये वसीयत हमारे नाम दर्ज हुई है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वसीयत के चित्रप्रति के अनुसार उक्त भूमि अप्रार्थी स0 1 ता 2 के नाम रामजीलाल द्वारा वसीयत की गई है एवं उक्त वसीयत के मुताबिक तहसीलदार नोहर सार्वजनिक सूचना जारी कर अप्रार्थीगण के नाम मुताबिक वसीयत नामान्तरण दर्ज किया गया है अप्रार्थीगण के पक्ष में कि गई वसीयत आदिनांक तक वैध है प्रार्थी द्वारा उक्त वसीयत के खंडन में कोई दस्तावेज पेश नही किया है, इसलिए अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 21.06.2023 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 16/1/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.01.15 17:30:42 IST
Reason: SelfAttested